



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

Associate Professor & Public Information Officer

27/2022-23/2065/129

दिनांक : 24/01/2023

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 11.01.2023 का आवेदन (कार्यालय में दिनांक 11.01.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1	इस विश्वविद्यालय के अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ से मैंने 2020-21 में अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा किया है। सत्र के दौरान मैंने अपना परियोजना कार्य अंग्रेजी से हिंदी में किया है। तो मेरा शिक्षा का माध्यम (Medium of instruction) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी (Vice-Versa) होगा या नहीं इस विषय में मुझे जानकारी प्रदान की जाए।	परियोजना कार्य हिंदी से अंग्रेजी हो या अंग्रेजी से हिंदी, दोनों स्थितियों में शिक्षा का माध्यम हिंदी ही है। अनुवाद शिक्षण के दौरान शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(शंभू जोशी)
24/01/2023